संसदीय कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). चूंकि वित्तीय वर्ष 1968-69 अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः अपेक्षित जानकारी देने का अभी समय नहीं आया हैं ।

(ग) अनुमानतः सूचना अंतर्राज्जीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों जिनके लिए भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिये जाते है, के लिए 1968-69 में मध्य प्रदेश सरकार को दिये गये आवंटनों के बारे में अपेक्षित है । चूंकि राज्य सरकार को पहले ही दी गई राशियों के अंतर्गत 37.82 लाख रुपये की राशि जिसकी उसे आवश्यकता है, आ जाती है, अतः अंतर्राज्जीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के खर्चे के लिए केन्द्रीय भाग के रूप में 1968-69 में उसे किसी भी राशि के भुगतान किये जाने की सम्भावना नहीं है । 1967-68 और 1968-69 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय भाग के रूप में 38.82 लाख रुपये की राशि की भी व्यवस्था की गई है ।

जिला गजेटियर तैयार करना

3022. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस वर्षों में भारत के सभी जिलों के गजेटियर तैयार करने तथा उनको प्रकाशित करने के बारे में 1955 में निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड जिले का गजेटियर इस बीच तैयार कर लिया गया है तथा उसे प्रकाशित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार ने इम्पिरीयल और जिला गजेटियरों को संशोधित करने का निर्णय 1955 में किया था । किन्तु, कार्य वास्तव में 1558 में प्रारम्भ किया गया था, जब केन्द्रीय गजेटियर्स यूनिट की स्थापना की गई थी । परन्तु, गजेटियरों के प्रकाशन को, 1961 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने तक स्थगित रखने का निर्णय किया गया ।

(ख) और (ग). पूर्वी निमाड़ जिला गजेटियर का प्रारूप राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया था और प्रकाशन के लिए दिसम्बर, 1966 में केन्द्र द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था । उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने इसे छपने के लिए भेज दिया है और इसके शीघ्र ही प्रकाशित होने की सम्भावना है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में मध्य प्रदेश संवर्ग के अधिकारी

3023. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश संवर्ग के कुछ अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) इन नियुक्तियों के लिए इनका चयन किस तरीके से किया जाता है ; और

(ग) क्या उनका चयन राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाता है अथवा उनके परामर्श से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) व (ग). केन्द्रीय सरकार में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति उनकी उपयुक्तता, तथा वरियता को ध्यान में रखते हुए, उन ऐसे अधिकारियों में से की जाती है, जिनके नाम राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति के लिए सुझाती हैं ।